जिला–रीवा (म.प्र.)

67

R 5165 ॥/17

चन्द्रमणि तनय भूप नारायण ब्रा0 निवासी पनवार, तह0 त्योंथर, जिला रीवा म.प्र.।

अधि0 श्री मुद्रिका विक्रमकर्ता
द्वारा पेश / 18-4-17

...............पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. कुंजन राम तनय राघोराम।
2. इन्द्रस्वरूप तनय राघोराम।

दोनो निवासी– ग्राम जिरौंहा, तह0 जवा, जिला रीवा म.प्र.।

3. शासन मध्यप्रदेश।

...............गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर महोदय, रीवा संभाग रीवा म.प्र. द्वारा प्र.क्र. 161/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2017

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधार निम्नलिखित हैं:–

01– यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर महोदय, संभाग रीवा द्वारा पारित अलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2017 विधि व प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2017 में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निरस्त कर विचारण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5165–दो/17 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–05–17	आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 161/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.2.2017 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा –50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि कालिका प्रसाद तनय बदी प्रसाद निवासी ग्राम जिरौहा द्वारा कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम कोटा एवं जिरौहा तहसील त्यौंथर की कतिपय भूमियां खसरे में नागरिकों के सार्वजनिक निस्तार में म0प्र0 शासन के नाम से दर्ज हैं, लेकिन रिकार्ड रूम में पदस्थ सेक्सन राइटर अपने साले बृजकिशोर मिश्रा एवं घर में रह रहे पटवारी हल्का के माध्यम से अपना तथा अपने अन्य रिस्तेदारों का नाम भूमि स्वामी के कॉलम में भिन्न स्याई से अपना नाम दर्ज करा लिया है। कलेक्टर रीवा द्वारा जिसकी जांच कराने पर तत्कालीन रिकार्ड रूम प्रभारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में कहा है कि शिकायती आवेदन में उल्लेखित तथ्य	

सही हैं। कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर अलग अलग प्रकरण पंजीबद्व कर अनावेदकों को कारण बताओं नोटिस जारी की गई। आवेदक द्वारा जबाव समाधानकारक न पाते हुये कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रश्नाधीन भूमि खसरा न0 42 रकवा 23.76 एकड का पूर्ववत म0प्र0 शासन अंकित करने का आदेश दिया, इसी से दुखित होकर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 20.2.2017 कलेक्टर का आदेश उचित बताते हुये अपील निरस्त की गई है इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3—आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का गहन परिशीलन किये बिना आवेदक की अपील अग्राह्य की गई है वह आदेश दिनांक 20.2.2017 निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में आगे कहा है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण के पिता राधोराम तनय रामहित राम को पटट्ा प्रदान किया था जो उनके द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था उस पर गौर किये बगैर प्रकरण निरस्त करने में त्रुटि की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि भूमिस्वामी अनावेदकगण के पिता से जरिये रजिस्टर्ड

विकय पत्र दिनांक 27.7.1984 के अनुसार आराजी खसरा न0 42 रकवा 23.76 एकड का 1/2 हिस्सा 11.63 एकड़ आवेदकगण को विकी कर दिया था जिसका नामांतरण नायब तहसीलदार जवा जिला रीवा द्वारा दिनांक 19.10.1984 के अनुसार आवेदकगण के नाम हो गया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि कलेक्टर जिला रीवा का आदेश दिनांक 19.1.93 एवं आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 20.2.2017 निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4— आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का वारीकी से अध्ययन किया । प्रकरण में सलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि तथ्कालीन रिकार्ड रूम प्रभारी से जांच कराने पर शिकायती आवेदन में उल्लेख तथ्य सही पाये जाने पर कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर पूर्ववत म0प्र0 शासन के नाम भूमि दर्ज कराने में कोई त्रुटि नहीं की है और आवेदक द्वारा भूमि खसरा न0 42 रकवा 23.76 एकड़ का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कय कर नामांतरण कंराया जाना बतया गया है लेकिन राधोराम द्वारा उक्त शासकीय भूमि अपने नाम अंकित करा लिये जाने बावत उनके द्वासरा कोई सफाई पेश नहीं की गई है।

भूमि स्वामी राधोराम ने अवैध तरीके से भूमि अर्जित किया था तब उससे भूमि कय करना दुरभि संधि की श्रेणी में ही माना जायेगा। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित हैं। **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्व सत्यनारायण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलीय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं"** कलेक्टर जिला रीवा का आदेश दिनांक 19.1.93 एवं आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 20.2.2017 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य